न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2017 (राजसमन्द डिकी)

श्री सुरेन्द्र कुमार पिता श्री शांतिलाल जी जैन निवासी मुख्य बाजार रानी तहसील रानी जिला पाली (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कोशल्या देवी पत्नी घीसूलाल जी गर्ग निवासी बांता हाल कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री मोहनलाल पिता हीरा जी तेली निवासी देवपुरा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती जवरी बेवा भंवरलाल जी चौहान (कलाल) निवासी मुख्य बाजारा रानी तहसील रानी जिला पाली (राज0) हाल निवासी चामुण्डा जेवल यशक्त नगर रोड़ नंबर–1 टिन डूंगरी गौरे गांव वेस्ट मुम्बई नं. (62)
4. श्री उमेश पिता भंवरलाल जी चौहान (कलाल) निवासी मुख्य बाजारा रानी तहसील रानी जिला पाली (राज0) हाल निवासी चामुण्डा जेवल यशक्त नगर रोड़ नंबर–1 टिन डूंगरी गौरे गांव वेस्ट मुम्बई नं. (62)
5. श्री राकेश पिता भंवरलाल जी चौहान (कलाल) निवासी मुख्य बाजारा रानी तहसील रानी जिला पाली (राज0) हाल निवासी चामुण्डा जेवल यशक्त नगर रोड़ नंबर–1 टिन डूंगरी गौरे गांव वेस्ट मुम्बई नं. (62)
6. श्रीमती कमला पुत्री भंवरलाल जी चौहान (कलाल) निवासी मुख्य बाजारा रानी तहसील रानी जिला पाली (राज0) हाल निवासी चामुण्डा जेवल यशक्त नगर रोड़ नंबर–1 टिन डूंगरी गौरे गांव वेस्ट मुम्बई नं. (62)
7. श्रीमती विमला पुत्री भंवरलाल जी चौहान (कलाल) निवासी मुख्य बाजारा रानी तहसील रानी जिला पाली (राज0) हाल निवासी चामुण्डा जेवल यशक्त नगर रोड़ नंबर–1 टिन डूंगरी गौरे गांव वेस्ट मुम्बई नं. (62)
8. संतोष पुत्री भंवरलाल जी चौहान (कलाल) निवासी मुख्य बाजारा रानी तहसील रानी जिला पाली (राज0) हाल निवासी चामुण्डा जेवल यशक्त नगर रोड़ नंबर–1 टिन डूंगरी गौरे गांव वेस्ट मुम्बई नं. (62)
9. श्रीमती मंजुला बेन बेवा जयन्तीलाल जी जैन निवासी शाह धनराज भूरमल जी स्टेशन रोड हिम्मतनगर (गुजरात)

10. सुश्री नेहा पुत्री जयन्तीलाल जी जैन निवासी शाह धनराज भूरमल जी स्टेशन रोड हिम्मतनगर (गुजरात)
11. विरल पुत्री जयन्तीलाल जी जैन निवासी शाह धनराज भूरमल जी स्टेशन रोड हिम्मतनगर (गुजरात)
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द दिनांक 26—5—2015 प्रकरण संख्या 56/2012 रे.वाद

————/————

1— श्री प्रवीण मण्डोवरा अभिभाषक अपीलान्ट

2— श्री गिरीश पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1

3— श्री दीपक परमार रेस्पोन्डेन्ट संख्या—3 से 11

4— राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12

————/————

निर्णय **दिनांक 26—12—2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 वादिया द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देवपुरा की आराजी नंबर 670/58 रकबा 5 बीघा भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या—2 (प्रतिवादी संख्या—1) से पंजीकृत विक्रय पत्र से जय महावीर मार्बल के पार्टनर भंवरलाल, उमेश, जयन्तीलाल, सुरेन्दकुमार, कोशल्यादेवी द्वारा क्रय की गई, जो कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 से 11 (वारिसान क्रेतागण) है। मौके पर वादिया व प्रतिवादी संख्या 2 से 11 का कब्जा भी है। पंचायत/उपखण्ड अधिकारी/अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त के यहां विक्रय नामान्तरकरण एवं अपीलें निराधार खारिज कर दी गई। निवेदन किया कि विधिवत विक्रय एवं कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा, विधिवत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रतिवादी संख्या—1 के द्वारा खण्डन का जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में दिनांक 6—4—2015 को तनकीयात भी कायम की गई। अन्ततः प्रकरण में दिनांक 26—5—2015 को लोक अदालत कैम्प केलवा में

राजीनामे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री करते हुए आदेश दिया कि :—

आदेश

''वादिया के द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम देवपुरा के खाता संख्या 157 में वर्णित आराजी संख्या 670/58 रकबा 5 बीघा भूमि में दर्ज प्रतिवादी संख्या—1 मोहनलाल तेली का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या—1 के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 21—09—1989 के अनुसार यह भूमि क्रेता फर्म जय महावीर मार्बल्स राजसमन्द के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। विक्रय पत्र पार्टनर फर्म के पक्ष में निष्पादित होने से विभाजन का अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं होने से विभाजन का अनुतोष खारिज किया जाता है। जब तक उक्त भूमियां राजस्व रेकार्ड में उक्त फर्म के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि को विक्रय अन्तरण नहीं करे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब होवें''।

ह0/—
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या—11 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12—5—2017 को पेश की गई।

अपील के साथ दफा—5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि निर्णय के बाद नामान्तरकरण की नकल लेने पर यह जानकारी हुई कि फर्म के किसी साझेदार का नाम नहीं लिखा गया है। अन्दर जानकारी मयाद अपील पेश की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, न्यायहित व वर्णित परिस्थितियों में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 की और से अधिवक्ता श्री गिरीश पुरोहित तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 11 की और से अधिवक्ता श्री दीपक परमार ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या—2 व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए तथा सहमति व्यक्त की, रेस्पोन्डेन्ट संख्या—12 सरकार की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 11 ने अपील पर सहमति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित किये जाने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया उसमें क्रेतागणों के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित नहीं किये, जबकि विक्रय पत्र में क्रेतागण के नाम अंकित होने चाहिए थे।

हमारे द्वारा आधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादपत्र के अनुसार वादी की प्लीडिंग्स पर विक्रेता प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट की सहमति होने के बावजूद क्रेतागणों का नाम जिस प्रकार विक्रय पत्र में अंकित है, उसके स्थान पर सिर्फ फर्म का नाम ही अंकित करने का आदेश दिया जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतएव अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश आंशिक रूप से अपास्त किया जाकर प्रकरण में आदेश दिया जाता है कि ग्राम देवपुरा की आराजी संख्या 670/58 रकबा 5 बीघा का क्रेता हस्ब पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21–9–1989 विक्रेता मोहनलाल पिता हीरा तेली के स्थान पर ''जय मार्बल्स राजसमन्द के प्रोप्राईटर (पार्टनर) उमेश कुमार पुत्र भंवरलाल चौहान, निवासी राणी/भंवरलाल पुत्र कालूराम जी चौहान (कलाल) निवासी राणी स्टेशन/जयन्तीलाल पुत्र धनराज जी जैन निवासी हिम्मतनगर/सुरेन्द्रकुमार पुत्र शांतिलाल जी जैन निवासी राणी/श्रीमती कोशल्यादेवी पत्नी घीसूलाल जी गर्ग'' के नाम हस्ब विक्रय पत्र दर्ज की जाय।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री सुरेन्द्र कुमार पिता शांतिलाल जी जैन नि0 मुख्य बाजार रानी तहसील रानी जिला पाली बनाम **1– श्रीमती कोशल्यादेवी पत्नी घीसूलाल जी गर्ग निवासी बांता हाल कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द अन्य–10 व सरकार**

अपील नं0 **27/2017** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** .... **राजसमन्द**............ मुकाम मुर्ख्खे............**26**...........माह.............**05**............ **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**26**..... माह ......**12**.......... सन् **2017** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री प्रवीण मण्डोवरा** .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री गिरीश पुरोहित व श्री दीपक परमार** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश आंशिक रूप से अपास्त किया जाकर प्रकरण में आदेश दिया जाता है कि ग्राम देवपुरा की आराजी संख्या 670/58 रकबा 5 बीघा का केता हस्ब पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21–9–1989 विक्रेता मोहनलाल पिता हीरा तेली के स्थान पर "जय मार्बल्स राजसमन्द के प्रोप्राईटर (पार्टनर) उमेश कुमार पुत्र भंवरलाल चौहान, निवासी राणी/भंवरलाल पुत्र कालूराम जी चौहान (कलाल) निवासी राणी स्टेशन/जयन्तीलाल पुत्र धनराज जी जैन निवासी हिम्मतनगर/सुरेन्द्रकुमार पुत्र शांतिलाल जी जैन निवासी राणी/श्रीमती कोशल्यादेवी पत्नी घीसूलाल जी गर्ग" के नाम हस्ब विक्रय पत्र दर्ज की जाय।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**26**.... माह ...**12**........ **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।